न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –62/2021
आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2021/89

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
पांचाराम पुत्र हरदीनराम जाति जाट निवासी आकेली ए तहसील मेड़ता जिला नागौर राजस्थान		नायब तहसीलदार, मेड़तासिटी, जिला नागौर, राजस्थान

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री भंवरलाल सारस्वत।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय दिनांक 02/05/2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार मेड़तासिटी द्वारा मुकदमा नम्बर–7/2021 सरकार बनाम पांचाराम अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 22.07.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.07.2021 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 905 रकबा 0.01 हैक्टयर वाके मौजा आकेली ए में अपीलान्ट का संवत 2078 में अतिक्रमण बताकर अपीलान्ट को नोटिस दिया। जिसका जबाब अपीलान्ट ने दिनांक 06.07.2021 को प्रस्तुत कर दिया। उसके पश्चात दिनांक 22.07.2021 को नायब तहसीलदार मेड़तासिटी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व रेकर्ड के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 906 किस्म बारानी 4 कुल रकबा 1.35 हैक्टेयर जमीन जो ग्राम आकेली ए की आबादी के चिपते हुए आयी हुई हैं, उक्त जमीन में ग्रामीण आकेली ए के लगभग 100 व्यक्तियो के पूर्वजो के समय से ही आज दिनांक तक पक्के निर्माण व बाडे बनाये हुए हैं, जिनमे लगभग 100 परिवार अपने पशुओं को बांधते हैं, चारा डालते है और अपने परिवार सहित निवास करते है इसी प्रकार अपीलांट के दादा से आज तक अपीलांट अपनी फसलो को इक्कठा कर फसलो को निकालने के लिए ताली बनाई हुई हैं, अपीलांट की ताली वर्तमान में खुली है। अपीलांट ने अपने पशु को बांधने के लिए चारो तरफ मेडबंदी की हुई है परन्तु आकेली ए के वर्तमान सरपंच अशोक गोलिया जिसको अपीलांट ने मतदान नही किया, जिस कारण वर्तमान सरपंच अपीलांट से रंजिश रखता है। सरपंच के दबाव में आकर आपसी रंजिशवश मात्र अपीलांट को अतिकमी बताकर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की गई। जबकि अपीलांट की माठ वर्षों से कायम है। अपीलांट ने संवत 2078 में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही किया।

अपीलांट के अलावा खसरा नम्बर 905 पर अन्य 99 व्यक्तियो के ओर बाडे बने हुए हैं परन्तु पटवारी हल्का द्वारा किसी अन्य [illegible] सरपंच अपीलांट के बाडे में से रास्ता नया कायम करना चाहता है जबकि खसरा [illegible] के उत्तरी तरफ रास्ता हैं, जो बंद पडा है। उस पर पटवारी हल्का ने आज [illegible] कार्यवाही [illegible] और न ही सरपंच उस रास्ते को खुलवाना चाहता है जिस पर अन्य [illegible] मात्र अपी[illegible] नुकसान पहुंचाने की नियत से दुराग्रह से [illegible] का से मिलावट कर [illegible] राजनैतिक पहुंच का नाजायज फायदा उठाकर अपीलांट को उसके पूर्वजो के समय से ही बाडे से बेदखल कराने पर आमादा है। जबकि इस बाडे के अलावा इसी खसरा नम्बर 905 पर 99 बाडे ओर बने हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 16:29:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

हैं, अकेले मात्र अपीलांट को ही अतिकमण का नोटिस दिया है और उसके विरूद्ध ही आदेश पारित किया हैं, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के प्रतिकूल है और संविधान के तहत मूल अधिकार समानता का अधिकार का भी हनन किया जा रहा है और निष्पक्ष व सम भाव से कार्यवाही नही होने से न्याय पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, इसलिए निवेदन है कि मुस्तकिल पाइंट से नाप करवावे और अधीनस्थ न्यायालय से फेक्चूअल रिपोर्ट मंगवावे कि वास्तविक खसरा नम्बर 905 की स्थिति क्या हैं, अगर न्यायालय हाजा के समक्ष खसरा नम्बर 905 की मौका की स्थिति सामने आ जायेगी तो दूध का दूध ओर पानी का पानी हो जायेगा और प्रार्थी के साथ जो अन्याय हो रहा है उससे प्रार्थी बच सकेगा। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय से खसरा नम्बर 905 की वास्तविक वर्तमान स्थिति मंगवाना न्याय संगत है और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जो एकपक्षीय बिना निष्पक्षता के किया गया हैं, उसे खारिज किया जाना न्यायोचित है।

अपीलांट का उसके दादा के समय से ही उक्त बाडा बना हुआ हैं, अपीलांट व उसके पूर्वज अनपढ थे, इसलिए उन्हे राजस्व रेकर्ड की ओर ध्यान नही दिया, जबकि उनका कदीमी कब्जा है और इस खसरा में से कई व्यक्तियो के पटटे भी जारी हो रखे हैं और अपीलांट को संवत 2078 में अतिक्रमण करने का आरोप कतई गलत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जेर अपील निरस्त करने योग्य है।

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में खसरा नम्बर 905 मौजा आकेली ए की वास्तविक स्थिति मंगवाने का निवेदन किया। जिस पर नायब तहसीलदार ने पुनः रिपोर्ट मंगवाई, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई, वह घर बैठे ही मनोगढत तरीके से पेश की गई है उसमे खसरा नम्बर 905 की वास्तविक स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही की। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की पुनः रिपोर्ट को आधार मानकर आदेश जेर अपील पारित करने में बडी भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज करने काबिल है।

अपीलांट के खेत का प्रशिक्षित पटवारी या तहसीलदार या उप तहसीलदार या रेवेन्यू निरीक्षक की टीम गठित कर मौके का यानि अपीलांट के खेत का मुस्तकिल पाइंट से नाप करवाया जाता है और रास्ता की भूमि का नाप करवाया जाता है तो वास्तविक स्थिति सामने आ जायेगी और टीम के द्वारा अगर अपीलांट का कब्जा पाया जाता है तो अपीलांट अविलम्ब कब्जा हटाने के लिए तैयार है। परन्तु अपीलांट का खेत मौके पर कम हैं उसने अतिचार नही किया और इस आदेश की पालना में उनकी बाड हटा दी जाती है तो उनके संवैधानिक अधिकारो की हत्या होगी और उनके हितो पर भारी कुठाराघात होगा। इसलिए न्याय के सामान्य सिद्धान्तो के अनुसार रेवेन्यू रेकर्ड के अनुसार अपीलांट के खेत का नाप कर और रास्ते की भूमि का नाप कर वास्तविक मार्ग का सीमांकन किया जाता है तो अपीलांट के साथ न्याय होगा और वास्तविक स्थिति सामने आयेगी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो बिना किसी शहादत सबूत और विधिक प्रकिया अपनाएं बिना जो आदेश पारित किया है वो खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलांट के खेत का मुस्तकिल पोइंट से नाप करवाकर अपीलांट के विरूद्ध अगर उसका कब्जा पाया जाता है तो अतिकमी मानकर कार्यवाही करना न्याय संगत था, इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय को टीम गठित कर अपीलांट के खेत व रास्ता का सही सीमा ज्ञान करवाकर सही सीमा ज्ञान करवाना न्याय संगत होने से निर्देश प्रदान करावे। जिससे अपीलांट के साथ न्याय हो सके और वास्तविक स्थिति सामने आ सके। जब तक सही सीमा ज्ञान नही होता, तब तक अपीलांट को बेदखल करना न्याय संगत नही होने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेडता सिटी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 07/2021 बअनवान सरकार बनाम गैर सायल [illegible] अधीन धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में निर्णय दिनांक 22.07.2021 को खारिज [illegible] का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने रेस्पोडेन्ट [illegible] बहस में [illegible] किया कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त बारानी भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पटवारी हल्का कात्यासनी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.06.2021 को प्रस्तुत रिपोर्ट एवं तत्पश्चात अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी कात्यासनी से पुनः रिपोर्ट चाही गई,

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 16:29:38 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर,नागौर

जिसमें भी पटवारी कात्यासनी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 20.07.21 के अनुसार अपीलान्ट का वर्तमान राजस्व रेकर्ड के नक्शे व वर्तमान मौका स्थिति के अनुसार अपीलान्ट का अतिकमण होना बताया है। अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर स्पष्ट रूप अतिकमण साबित होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ग्राम आकेली "अ" के खसरा नम्बर 905 रकबा 0.01 हैक्टयर गैर किस्म बारानी 4 भूमि पर अपीलान्ट द्वारा बाड़ करके नाजायज कब्जा किया है, जो पटवारी हल्का कात्यासनी व भू अभिलेख निरीक्षक मेड़ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21.06.2021 से स्पष्ट है। इसके पश्चात अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाब प्रस्तुत किया। उक्त जबाब के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का कात्यासनी से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही, जिस पर पटवारी कात्यासनी द्वारा दिनांक 20.07.21 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 905 रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड के नक्शे व वर्तमान मौका स्थिति के अनुसार अपीलान्ट का अतिकमण होना बताया है। अपीलान्ट का कथन की वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट के दादा से आज तक फसले निकालने के लिए ताली बनाई हुई है, अपीलान्ट की ताली खुली है अपीलान्ट ने अपने पशु बाधने के लिए चारों तरफ मेडबंदी की हुई होना बताया है, अपीलान्ट के इस कथन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के खातेदारी की नहीं है, इससे भी अपीलान्ट का उक्त वादग्रस्त बारानी भूमि पर अनाधिकृत अतिकमण किया जाना स्पष्ट है। प्रकरण में पटवारी द्वारा 20.07.2021 को प्रस्तुत रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि अपीलान्ट के जबाब के बिन्दु संख्या 2 में जो बाते बताई गई है अर्थात अन्य व्यक्तियों द्वारा जो बाड़े आदि बनाये गये है, उक्त संबंध में भी मौके पर जाकर जॉच करें नियमानुसार कार्यवाही करने का उल्लेख रिपोर्ट में किया है। इस प्रकार दोनों रिपोर्ट से अपीलान्ट का वादग्रस्त बारानी भूमि पर नाजायज अतिकमण किया जाना साबित होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मेड़ता को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:29:38 IST
Reason: SelfAttested